

शासनादेश सं०-20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक-11 जुलाई 2024 का संलग्नक:-

विकल्प पत्र

1. नाम - सुभाष सिंह (SUBHASH SINGH)
2. वर्तमान पदनाम - अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी. एक्ट, लखीमपुर खीरी
3. वेतनमान - J5- 1,44,840 - 1,94,660
4. वर्तमान विभाग का नाम - न्याय विभाग
5. राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम - उ०प्र० शासन, नियुक्ति अनुभाग-4 (माध्यम लोक सेवा आयोग, उ०प्र०)
6. विज्ञप्ति की तिथि - 15-11-2003 (विज्ञापन संख्या-A-2/E-1/2003)
7. विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि - 26.05.2006 (संख्या-2430/II-4-06-32(1)/2001 टी.सी.-1 उ०प्र० शासन, नियुक्ति अनुभाग-4, लखनऊ)
8. योगदान की तिथि - 14-06-2006 (In Compliance of H.C. Notification No- 1047/DR(S)/2006 dated 13.06.2006)
9. जन्मतिथि - 01-03-1976
10. सेवानिवृत्ति की तिथि - 29-02-2036

मैं सुभाष सिंह पुत्र रामलखन सिंह शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून, 2024 के अन्तर्गत पुरानी पेंशन योजना (✓) में सम्मिलित होने का विकल्प देता हूँ। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अन्तिम समझा जाय।

दिनांक-27-09-2024

हस्ताक्षर

नाम सुभाष सिंह
पदनाम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी. एक्ट
लखीमपुर खीरी (ID No- UP 6268)

घोषणा पत्र

मैं सुभाष सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी. एक्ट, लखीमपुर खीरी यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त क्रम संख्या-01 से 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही है तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

दिनांक-27-09-2024

हस्ताक्षर

नाम सुभाष सिंह
पदनाम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी. एक्ट
लखीमपुर खीरी (ID No- UP 6268)

सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा

श्री सुभाष सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी. एक्ट, लखीमपुर खीरी को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुरानी पेंशन योजना (✓) में सम्मिलित किये जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति/सहमति प्रदान की जाती है।

दिनांक- 27-09-2024

कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
लखीमपुर खीरी
District Judge
Lakhimpur-Kheri